संख्या-20/2022/2155270/2022/श्रम-2

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक : 15 जुलाई, 2022

विषय : बोर्ड द्वारा संचालित 'संत रविदास शिक्षा सहायता योजना' में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2240-41/भ0नि0बो0-(1118)-2022, दिनांक 30-06-2022 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की "संत रविदास शिक्षा सहायता योजना" के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा श्रमिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के सहायतार्थ प्रान की जा रही साइकिल की धनराशि को डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिक के खाते में स्थानान्तरित करने सम्बन्धी योजना में संशोधन करते हुए, साइकिल प्रदान किये जाने की व्यवस्था को जारी रखे जाने, साथ ही बोर्ड की 54 वीं बैठक दिनांक 24-06-2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्याः 03 पर साईकिल की निर्धारित सब्सिडी धनराशि रू0 4,000/- से बढ़ाकर रू0 4,500/- करते हुये बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किये जाने के क्रम में उक्त संशोधन पर अनापत्ति हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :-

प्रस्तर	पूर्व व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर-05, बिन्दु संख्या-06	**हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रख-रखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया :-** (6) साईकिल में घंटी, ताला, कैरियर एवं साइड स्टैण्ड सहित निर्धारित ब्रांडो के बेस मॉडल की साईकिल के क्रय **हेतु रू0 4,000/- की धनराशि (चार हजार रूपये मात्र)** अधिकतम सब्सिडी के रूप में श्रमिक द्वारा संबंधित रसीद प्रस्तुत करने पर RTGS के माध्यम से	**हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रख-रखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया :-** (6) साईकिल में घंटी, ताला, कैरियर एवं साइड स्टैण्ड सहित निर्धारित ब्रांडो के बेस मॉडल की साईकिल के क्रय **हेतु रू0 4,500/- की धनराशि (चार हजार पाँच सौ रूपये मात्र)** अधिकतम सब्सिडी के रूप में श्रमिक द्वारा संबंधित रसीद प्रस्तुत कने पर **DBT** के माध्यम से **श्रमिक के खातें में**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सीधे साईकिल विक्रेता को भुगतान की जायेगी। **साईकिलों के क्रय हेतु साईकिलों के ब्रांड एवं साईकिलों के वितरण आदि की प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी अद्यतन निर्देश प्रभावी होगें।**	**स्थानान्तरित** की जायेगी। **साईकिलों के क्रय हेतु साईकिलों के ब्रांड एवं साईकिलों के वितरण आदि की प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी अद्यतन निर्देश प्रभावी होगें।**

2- संदर्भित योजना में उक्तानुसार संशोधन पर उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। अतः उक्त विवरणानुसार संशोधन प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत योजना के संचालन में बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं संगत नियमावली 2009 का अनुपालन पात्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के हित में पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा और इस हेतु वर्तमान तथा भविष्य में शासन स्तर से काई वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव

संख्या-20/2022/2155270(1)/2022/श्रम-2, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चिरौंजी लाल
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in